सिंचाई परियोजनाएं

454. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली दशक से पूर्व राज्यों में शुरू की गयी अनेक सिंचाई परियोजनाएं निधियों की कमी के कारण अभी तक पूरी नहीं हुई है;

(ख) इनमें से कितनी सिंचाई परियोजनाएं गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित हैं;

(ग) क्या जल संसाधन मंत्रालय और योजना आयोग ने इस संबंध में स्थिति का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। परियोजनाओं को पूरा होना उनके आकार, भूमि की उपलब्धता, स्वीकृति, भौगोलिक अवस्थाओं आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। इतना ही महत्व गैर्ज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं को आबंटित निधियों का भी है।

गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:—

	वृहद	मध्यम	कुल
गुजरात	9	8	17
	33	49	82

(ग) और (घ) योजना आयोग में राज्यों की वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न चल रही सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय जल आयोग भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की मानीटरी करता है। केन्द्र ने उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा होने के लिए जो पूरा होने के उन्नत चरण में हों अथवा ऐसी विशाल परियोजनाएं जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हों, को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता देने के वास्ते केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी ग्रामीण अवसंरचना विकास निधियों के तहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराता है।

सिंचित भूमि क्षेत्र बढ़ाने के लिए सहायता

455. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक महाराष्ट्र और गुजरात में सिंचित भूमि क्षेत्र के प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के कितने जिलों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में कुछ ठोस सुझाव भी दिये है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Flood Control in Assam

456. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government formulated any long-term/short-term policy on Brahamputra River to control the flood situation in the State of Assam;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the details of steps being taken so far by Government since independence and proposed to be taken in the Ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) does not arise.

(c) Since independence, flood control measures in an organised manner have been implemented to control the floods of Brahamputra and till the end of Eighth Plan an area of 1.63 million hectares in the Brahamputra valley has been given reasonable protection against floods through construction of 4,450 km. of embankment, 643 anti-erosion works, 85 major sluices and 85 km of drainage channels. During the IX Plan, it is anticipated that an additional area of 0.65 lakh hectare will be benefitted by the implementation of further flood control schemes in the Brahamputra basin.

Misappropriation at NPCC

457. SHRI RAJNATH SINGH SURYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that lot of fund is being misappropriated by the management of National Projects Construction Corporation Limited (NPCC) at Agartala;

(b) whether the complaints formal or informal have been revived in this regard;

(c) if yes, action taken thereon; and

(d) if not, whether Government are willing to take action against the erring officials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (d) The complaints against officers of NPCC Ltd. whenever reported are invariably examined in the Ministry and appropriate action taken.

भू-जल स्तर

458. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से देश में भू-जल स्तर निरंतर घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के राज्यों में भू-जल स्तर घटने के संबंध में अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में विगत दशक में भू-जल स्तर में औसतन कितनी कमी आई है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर में उतार और चढ़ाव दोनों स्थितियां देखने में आई हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने जहां कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में चार मीटर से अधिक गिरावट पाई है उन जिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

भू-जल स्तर में गिरावट मुख्यतः वार्षिक पुनर्भरण से अधिक जल निकासी, वर्षा की मात्रा एवं वितरण में असमानता, बढ़ रहे नगरीकरण, वनों की कटाई एवं कृषकों द्वारा जल सघन कृषि पद्धति अपनाने के कारण भूजल के पुनर्भरण में कमी से होती है।